संख्या-30/2016/2968/55-पर्या-2016-177(पर्या)/16

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2016

विषय :-वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी के दायित्वों के निर्वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्रांक-692/पर्या0/बजट/एस0ई0ए0सी0-3/2016-17 दिनांक 07-09-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण निदेशालय में गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी के सचिवालय के दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुदान संख्या-45 की मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत रू0 15,00,000-00 (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016,दिनांक 29-08-2016 में उल्लिखित शर्तो के अधीन निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-45, लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-04- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी के मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय के सुसंगत मानक मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-30/2016/2968(1)/55-पर्या-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
5- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।